

**निदेशालय**  
**स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।**

**आदेश**

स्वास्थ्य विभागीय संशोधित संकल्प सं० 1156(9), दिनांक 09/10/2012 के द्वारा डा० बिल्टु पासवान, तत्कालीन सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र भागलपुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी हैं। जिसके संचालन हेतु अद्योहस्ताक्षरी को संचालन पदाधिकारी एवं उपस्थापन के लिए सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर द्वारा नामित पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

उपरोक्त संकल्प के आलोक में डा० बिल्टु पासवान, तत्कालीन सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र भागलपुर को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 28/8/15 के मध्याह्न 12.00 बजे सभी साक्ष्यों एवं बचाव बयान के साथ अद्योहस्ताक्षरी के समथ कार्यालय प्रकोष्ठ (कमरा सं० 194) में उपस्थित हो।

२०/—

(डा० नागेश्वर प्रसाद सिंह)

संयुक्त निदेशक

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

दिनांक 12/8/15

ज्ञापांक.....18...../सं०नि०को०, स्वा०, पटना,

**प्रतिलिपि:**— डा० बिल्टु पासवान, तत्कालीन सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र भागलपुर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपि:**— सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि आप किसी पदाधिकारी को उपस्थापन पदाधिकारी नामित करते हुए डा० बिल्टु पासवान से संबंधित सभी साक्ष्यों के साथ निर्धारित तिथि को उपस्थित होने हेतु प्राधिकृत करते हुए इसकी प्रतिलिपि से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेंगे। साथ ही साथ डा० बिल्टु पासवान को भी उपस्थित होने की सूचना आप अपने स्तर से भी निर्गत करेंगे।

**प्रतिलिपि:**— अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग को उनके पत्रांक 627(9), दिनांक 17.07.2015 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

*Nageshwar Prasad Singh*  
संयुक्त निदेशक 28.8.15

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।